क्रम-संख्या—170

रजिस्ट्रेशन संख्या ... पी०—31

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1998

श्रावण 7, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1424/सत्रह-वि-1--1 (क) 22/1998

लखनऊ, 29 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 28 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

(2) यह 19 सितम्बर, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 171 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"171—(1) धारा 169 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब कोई भूमिधर या असामी मर जाय तो उसकी जोत में उसका स्वत्व निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारियों को न्यागत होगा, अर्थात् :—

उत्तराधिकार का सामान्य क्रम

(एक) उपधारा (2) के किसी एक खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी समान अंशों में साथ-साथ लेंगे;

(दो) उपधारा (2) के किसी पूर्ववर्ती खण्ड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी उत्तरवर्ती खण्डों में विनिर्दिष्ट सभी उत्तराधिकारियों को वर्जित करके लेंगे, अर्थात् खण्ड (क) के उत्तराधिकारियों को खण्ड (ख) के उत्तराधिकारियों पर अधिमान दिया जायेगा, खण्ड (ख) के उत्तराधिकारियों को खण्ड (ग) के उत्तराधिकारियों पर अधिमान दिया जायेगा और इसी प्रकार उत्तरवर्ती क्रम रहेगा;

(तीन) यदि किसी भूमिधर या असामी या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वंशज की, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, एक से अधिक विधवाएं हों, तो ऐसी सभी विधवाएं मिलकर एक अंश लेंगी;

(चार) विधवा या विधवा मां या पिता की विधवा मां या किसी पूर्व मृत पुंजातीय वंशज की, जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता, विधवा केवल तभी उत्तराधिकार पायेगी यदि उसने पुनर्विवाह न किया हो ;

(2) किसी पुरुष भूमिधर या असामी के निम्नलिखित रिश्तेदार उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तराधिकारी हैं, अर्थात् :—

(क) विधवा और पुत्र/पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार :

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पुत्र को, वह चाहे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, प्रति शाखा के अनुसार वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, मिलता;

(ख) विधवा माता;

(ग) पिता;

(घ) अविवाहिता पुत्री;

(ङ) भाई, जो मृतक के पिता का पुत्र हो;

(च) अविवाहित बहिन;

(छ) विवाहित पुत्री;

(ज) पुत्री का पुत्र;

(झ) भाई का पुत्र, जब भाई मृतक के पिता का पुत्र हो;

(ञ) पितामह;

(ट) पितामही;

(ठ) पुत्र की पुत्री;

(ड) विवाहिता बहिन;

(ढ) सौतेली बहिन, जो मृतक के पिता की पुत्री हो;

(ण) बहिन का पुत्र;

(त) सौतेली बहिन का पुत्र, जब सौतेली बहिन मृतक के पिता की पुत्री हो;

(थ) भाई के पुत्र का पुत्र;

(द) पितामह का पुत्र; या

(ध) पितामह का पौत्र।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा निरसन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 122-घ या धारा 198-क की उपधारा (1) या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (6-क) के अधीन कृत किसी कार्य, किसी कार्यवाही, प्रोद्भूत या अर्जित किसी अधिकार या उपगत किसी दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा, मानों उक्त अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

(3) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा (7) के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही या प्रोद्भूत या अर्जित कोई अधिकार इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही या प्रोद्भूत या अर्जित अधिकार समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1424 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-22-98

Dated Lucknow, July 29, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhoomi Vyavastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 29, 1998.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 1998

(U. P. ACT NO. 29 OF 1998)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 1998.

(2) It shall be deemed to have come into force on September 19, 1997.

Substitution of section 171 of U. P. Act no. 1 of 1951

2. *For* section 171 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

General order of succession

"171. (1) Subject to the provisions of section 169, when a *bhumidhar* or *asami*, being a male dies, his interest in his holding shall devolve upon his heirs being the relatives specified in sub-section (2) in accordance with the following principles, namely :—

(*i*) the heirs specified in any one clause of sub-section (2) shall take simultaneously in equal shares ;

(*ii*) the heirs specified in any preceding clause of sub-section (2) shall take to the exclusion of all heirs specified in succeeding clauses, that is to say, those in clause (*a*) shall be preferred to those in clause (*b*), those in clause (*b*) shall be preferred to those in clause (*c*), and so on, in succession ;

(*iii*) if there are more widows than one, of the *bhumidhar* or *asami*, or of any predeceased male lineal descendant, who would have been an heir, if alive, all such widows together shall take one share ;

(*iv*) the widow or widowed mother or the father's widowed mother or the widow of any predeceased male lineal descendant who would have been an heir, if alive, shall inherit only if she has not remarried.

(2) The following relatives of the male *bhumidhar* or *asami* are heirs subject to the provisions of sub-section (1), namely :—

(*a*) widow, and the male lineal descendant in the male line of descent per stirps :

Provided that the widow and the son of a predeceased son how low-so-ever per stirps shall inherit the share which would have devolved upon the predeceased son had he been alive :

(*b*) widowed mother ;

(*c*) father ;

(*d*) unmarried daughter ;

(*e*) brother, being the son of the same father as the deceased ;

(*f*) unmarried sister ;

(*g*) married daughter ;

(*h*) daughter's sons ;

(*i*) brother's son, the brother having been son of the same father as the deceased ;

(*j*) father's father ;

(*k*) father's mother ;

(*l*) son's daughter ;

(*m*) married sister ;

(*n*) half sister, being the daughter of the same father as the deceased;

(*o*) sister's son;

(*p*) half sister's son, the sister having been the daughter of the same father as the deceased;

(*q*) brother's sons's son;

(*r*) father's father's son;

(*s*) father's father's sons's son."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby repealed;

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of section 6 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904, such repeal shall not affect anything done, any action taken, any right accrued or acquired or any liability incurred under section 122-D or sub-section (1) of section 198-A of the principal Act or sub-section (6-A) of section 27 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) as if the provisions of the said Ordinance were in force at all material times.

(3) Notwithstanding such repeal, anything done, any action taken or any right accrued or acquired under section 171 of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done, taken or accrued under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—यू० पी० 83 सा० विधा०—(856) 1998—850 (मेक०)।